जल संसाधन मंत्रालय

मांग संख्या 104

जल संसाधन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	416.94	455.41	872.35	592.50	403.20	995.70	476.50	487.56	964.06	624.20	500.93	1125.13
	पूंजी	***75.35***	*2.05*	*77.40*	*107.50*	*1.80*	*109.30*	*83.50*	*1.80*	*85.30*	*95.80*	*1.80*	*97.60*
	जोड़	**492.29**	**457.46**	**949.75**	**700.00**	**405.00**	**1105.00**	**560.00**	**489.36**	**1049.36**	**720.00**	**502.73**	**1222.73**
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	...	32.62	32.62	...	31.25	31.25	...	63.44	63.44	...	69.98	69.98
बृहद तथा मध्यम सिंचाई													
2. केन्द्रीय जल आयोग	2701	2.53	150.38	152.91	4.00	115.72	119.72	3.00	144.96	147.96	3.00	149.50	152.50
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	2701	...	7.63	7.63	...	5.92	5.92	...	7.80	7.80	...	8.31	8.31
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	2701	...	36.10	36.10	...	25.47	25.47	...	33.06	33.06	...	35.67	35.67
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	2701	...	10.04	10.04	...	6.50	6.50	...	9.80	9.80	...	8.50	8.50
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2701	32.85	...	32.85	53.50	...	53.50	41.50	...	41.50	45.89	...	45.89
7. अन्य													
7.01 बोर्ड और समितियां	2701	...	1.66	1.66	...	2.66	2.66	...	2.79	2.79	...	2.95	2.95
	4701	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	*1.66*	*1.66*	...	*2.66*	*2.66*	...	*2.79*	*2.79*	...	*2.95*	*2.95*
8. राज्यों का आयोजना-भिन्न अनुदान													
8.01 सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिये सहायता	3601	...	...	...	...	20.00	20.00	...	8.94	8.94	...	2.06	2.06
9. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2701	48.30	...	48.30	50.50	...	50.50	29.32	...	29.32	46.84	...	46.84
	2702	...	...	...	...	...	...	0.07	...	0.07	0.06	...	0.06
	3601	14.74	...	14.74	14.34	...	14.34	11.00	...	11.00	11.04	...	11.04
	3602	0.06	...	0.06	0.16	...	0.16	0.10	...	0.10	0.06	...	0.06
	जोड़	*63.10*	...	*63.10*	*65.00*	...	*65.00*	*40.49*	...	*40.49*	*58.00*	...	*58.00*
10. अवसंरचना विकास	2701	1.28	...	1.28	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
11. जल विज्ञान परियोजना													
11.01 ईएपी घटक	2701	20.50	...	20.50	43.00	...	43.00	29.07	...	29.07	76.00	...	76.00
11.02 ईएपी-भिन्न घटक	2701	1.04	...	1.04	10.00	...	10.00	1.93	...	1.93	4.00	...	4.00
जोड़- जल विज्ञान परियोजना		*21.54*	...	*21.54*	*53.00*	...	*53.00*	*31.00*	...	*31.00*	*80.00*	...	*80.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12. जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2701	37.01	...	37.01	52.00	...	52.00	44.00	...	44.00	52.00	...	52.00
13. सूचना, शिक्षा तथा संचार	2701	10.85	...	10.85	15.00	...	15.00	14.10	...	14.10	25.00	...	25.00
14. बाँध सुरक्षा अध्ययन तथा योजना	2701	0.34	...	0.34	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
15. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	2701	...	...	...	0.50	...	0.50	0.01	...	0.01	4.00	...	4.00
जोड़-बृहद तथा मध्यम सिंचाई		**169.50**	**205.81**	**375.31**	**247.50**	**176.27**	**423.77**	**178.10**	**207.35**	**385.45**	**273.89**	**206.99**	**480.88**
लघु सिंचाई													
16. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	2702	...	108.81	108.81	...	98.31	98.31	...	102.29	102.29	...	105.02	105.02
17. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एंड आरआई	2702	1.78	...	1.78	6.00	...	6.00	3.40	...	3.40	3.00	...	3.00
18. भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2702	68.82	...	68.82	97.00	...	97.00	75.00	...	75.00	117.00	...	117.00
19. अवसंरचना विकास	4702	2.15	...	2.15	9.50	...	9.50	9.00	...	9.00	10.40	...	10.40
जोड़-लघु सिंचाई		**72.75**	**108.81**	**181.56**	**112.50**	**98.31**	**210.81**	**87.40**	**102.29**	**189.69**	**130.40**	**105.02**	**235.42**
बाढ़ नियंत्रण													
20. केनद्रीय जल आयोजन	2711	...	68.53	68.53	...	56.74	56.74	...	72.38	72.38	...	75.35	75.35
21. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में संकटकालीन बाढ़ बचाव निर्माण कार्य	7601	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
22. बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें													
22.01 बाढ पूर्वानुमान	2711	17.38	...	17.38	33.00	...	33.00	22.00	...	22.00	34.00	...	34.00
22.02 नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2711	59.46	...	59.46	19.00	...	19.00	15.00	...	15.00	14.00	...	14.00
	3601	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
	जोड़	*159.46*	...	*159.46*	*119.00*	...	*119.00*	*115.00*	...	*115.00*	*114.00*	...	*114.00*
22.03 अवसंरचना विकास	4711	4.25	...	4.25	14.00	...	14.00	10.50	...	10.50	13.00	...	13.00
जोड़- बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें		*181.09*	...	*181.09*	*166.00*	...	*166.00*	*147.50*	...	*147.50*	*161.00*	...	*161.00*
जोड़-बाढ़ नियंत्रण		**181.09**	**71.53**	**252.62**	**166.00**	**59.74**	**225.74**	**147.50**	**75.38**	**222.88**	**161.00**	**78.35**	**239.35**
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान													
23.01 अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2552	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30
23.02 पगलाडिया बाँध परियोजना	2552	...	...	...	0.50	...	0.50	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
23.03 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2552	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
23.04 भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2552	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
23.05 जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2552	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
23.06 बाढ़ पूर्वानुमान	2552	...	...	...	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
23.07 नदी प्रबंधन कार्यालय और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2552	...	...	...	80.00	...	80.00	73.49	...	73.49	74.00	...	74.00
23.08 अवसंरचना विकास	4552	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान		...	...	...	*92.00*	...	*92.00*	*85.00*	...	*85.00*	*84.31*	...	*84.31*
अन्य परिवहन सेवाएं													
24. फरक्का बैराज परियोजना	3075	...	39.64	39.64	...	40.63	40.63	...	42.10	42.10	...	43.59	43.59
	5075	68.95	...	68.95	82.00	...	82.00	62.00	...	62.00	70.40	...	70.40
	5075	...	-0.95	-0.95	...	-1.20	-1.20	...	-1.20	-1.20	...	-1.20	-1.20
	निवल	*68.95*	*38.69*	*107.64*	*82.00*	*39.43*	*121.43*	*62.00*	*40.90*	*102.90*	*70.40*	*42.39*	*112.79*
कुल जोड़		***492.29***	***457.46***	***949.75***	***700.00***	***405.00***	***1105.00***	***560.00***	***489.36***	***1049.36***	***720.00***	***502.73***	***1222.73***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. वृहत और मध्यम सिचाई	12701	169.50	...	169.50	247.50	...	247.50	178.10	...	178.10	273.89	...	273.89
2. लघु सिंचाई	12702	72.75	...	72.75	112.50	...	112.50	87.40	...	87.40	130.40	...	130.40
3. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	12711	181.09	...	181.09	166.00	...	166.00	147.50	...	147.50	161.00	...	161.00
4. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	68.95	...	68.95	82.00	...	82.00	62.00	...	62.00	70.40	...	70.40
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	92.00	...	92.00	85.00	...	85.00	84.31	...	84.31
जोड़		**492.29**	**...**	**492.29**	**700.00**	**...**	**700.00**	**560.00**	**...**	**560.00**	**720.00**	**...**	**720.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु गैर-योजना प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** इस स्कीम में राज्य एवं केन्द्रीय संगठनों के सेवारत अभियंताओं को जल संसाधन विकास के क्षेत्र और विशेष तौर पर एकीकृत नदी बेसिन आयोजना एवं प्रबंधन और जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन से संबंधित अन्य विषयों में प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप शामिल होंगे।

6. **जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम:** स्कीम के लक्ष्य है (i) देश के जल संसाधन से संबंधित समस्याओं हेतु व्यवहारिक समाधान ढूंढना और उपलब्ध तकनीक और इंजीनियरिंग पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को सुधारना और विशेषकर वर्तमान सुविधाओं की दक्षता में सुधार हेतु अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना। (ii) वर्तमान तकनीक के साथ गति बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संगठनों की अनुसंधान सुविधाओं और उपकरणों का सृजन/उन्नयन करना (iii) जल क्षेत्र में देश में विभिन्नन संस्थानों द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान कार्यों का समर्थन करना।

9. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** जल संसाधन का प्रबंधन एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसमें आंकड़ा अधिप्राप्ति, संख्यात्मंक मॉडलिंग, इष्टातमीकरण, आंकड़ा संग्रहण और सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय एवं विधिक मुद्दों जैसे बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं। मानव जीवन में जल की महत्वपपूर्ण भूमिका को देखते हुए जल प्रणालियों के बेहतर डिजाइन एवं इष्टतम उपयोग की आवश्याकता है। इस संदर्भ में एक विवेकपूर्ण विश्लेषण ऐसी पद्धति पर आधारित होना चाहिए जिसमें सभी संबंधित कारणों एवं प्रभावों पर विचार किया गया हो और विभिन्न विकल्पों का प्रणालीबद्ध मूल्यांकन किया गया हो। संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में जल संसाधन सूचना प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल संसाधन प्रणाली का विकास करना तथा जल्द से जल्द पूर्णत: प्रचालनात्म्क बनाना स्कीम के लक्ष्य हैं। जल संसाधन सूचना प्रणाली जल संसाधन प्रबंधन को समर्पित है।

10. **अवसंरचना विकास:** यह स्कीम भूमि एवं भवन और आईटी विकास से संबंधित कार्यकलापों को शामिल करेगी और (i) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि और भवन (ii) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की भूमि और भवन (iii) जल संसाधन मंत्रालय का आईटी विकास और (iv) केन्द्रीय जल आयोग का कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यकलापों को शामिल करेगा।

11. **जल विज्ञानीय परियोजना:** 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वायन अभिकरणों द्वारा भूविज्ञानीय सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग का विस्तार और प्रोत्साहित करना। परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा और पांडिचेरी के 4 नए राज्यस अभिकरणों को जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली की सुविधा दी जाएगी। परियोजना के अंतर्गत विद्यमान राज्यों को जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली

(एचआईएस) के विकास, जैसा जल विज्ञान परियोजना चरण-। में है, से जल संसाधन आयोजना एवं प्रबंधन में जलवैज्ञानिक सूचना प्रणाली के उपयोग की ओर ले जाने में सहायता करके शामिल किया गया है । यह परियोजना दक्ष जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन के लिए भूविज्ञानीय सूचना प्रणाली के उपयोग में राज्यो/केन्द्र स्तर पर कार्यान्वियन अभिकरणों की क्षमता को शक्तिशाली करेगा । इससे सभी संबंधित संगठनों द्वारा जलवैज्ञानिक सूचना प्रणाली के आंकड़ों के उपयोग को शुरू करने और इसमें विस्ता्र करके एचआईएस उपयोग के संबंध में जागरूकता पैदा होगी और सेवाओं का विस्तार होगा ।

12. **जल संसाधन विकास स्कीम की जांच:** अंतर बेसिन जल के अंतरण और अन्य अध्ययनों को पूरा करने के लिए स्कीमों को शामिल करते हुए विविध जल संसाधन विकास स्कीमों का सर्वेक्षण, फील्डी जांच, पूर्व-व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक समझी जाने वाली प्रासांगिक, पूरक या व्यावहारिक कार्यकलापों से संबंधित कार्यकलापों को पूरा करना ।

13. **सूचना, शिक्षा और संचार:** स्कीम के मुख्य लक्ष्य हैं (i) परियोजना में व्यवस्थापना, शिक्षण, प्रलेखन और प्रसार को अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों के समर्थन को प्रोत्साहित करना (ii) उपलब्ध जल संसाधनों का न्या यसंगत और मितव्ययी आवश्यक उपयोग के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता सृजन करना (iii) वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु उपायों को अपनाने हेतु जागरूकता सृजन करना (iv) जल संतुलन को बनाए रखने और जनसंख्या की जल आवश्यकता को पूरा करने के संबंध में पारंपरिक जल निकायों की महत्ता को पुन: स्थापित करना (v) जल संरक्षण तकनीकों की विभिन्न डाटाबेसों तक लोगों की सीधी पहुंच को बनाना (vi) जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और विविध जल बचाव उपायों को स्वत: अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना (vii) विशेष लक्षित संदेशों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों तक पहुंच के लिए विशेष प्रयास करना ।

14. **बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना:** यह स्कीम बांध सुरक्षा संगठन के बांध सुरक्षा और अवसंरचना को शक्तिशाली करने से संबंधित आवश्यीक अध्ययनों को शुरू करने की परिकल्पना करती है।

15. **नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण:** संसाधनों के इष्टितम उपयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प अभिज्ञात करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययनों और मूल्यांकन आदि शुरू करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों को एक मंच उपलब्धय कराने की प्राथमिक लक्ष्यर सहित नदी बेसिन संगठन के गठन को प्रोत्साहित करना स्कीम के लक्ष्य है ।

17. **राजीव गांधी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** स्कीम में भूजल संसाधनों की आयोजना जांच, विकास, प्रबंधन, संवर्धन, संरक्षण और सुरक्षा में भूजल पेशेवरों के ज्ञान और कुशलता को सुव्यवस्थित और अपग्रेड करने के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु क्रियाकलाप शामिल होंगे ।

18. **भूजल प्रबंधन और विनियमन:** स्कीम के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार है :

(I)क्षेत्र विशेष भूजल विकास एवं प्रबंधन योजना को डिजाइन करने हेतु भूजल प्रबंधन अध्ययन करना । (II)भूजल संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिये ड्रिलिंग की सहायता से भूजल अन्वेषण करना । (III) देश के भूजल संसाधनों का आवधिक आकलन करना और पद्धति में संशोधन/अद्यतन करना । (IV)भूजल प्रेक्षण कुओं से भूजल स्तधर एवं गुणवत्तता की निगरानी करना । (V) क्षेत्र विशेष पद्धतियां विकसित/अध्ययन करने के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन अध्ययन करना । (VI) भूजल आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रक्रियान्व्यन एवं प्रसार के लिये आंकड़ा संग्रहण एवं सूचना प्रणाली स्था पित/अद्यतन करना । (VII) राज्य सरकार के संगठनों के साथ समन्व य से भूजल विकास का विनियमन एवं नियंत्रण करना । (VIII) संभावित जलभृत्तों को चिन्हित करने और भूजल अन्वे षण, कृत्रिम पुनर्भरण आदि के लिए उपयुक्त स्थल दर्शाने के लिये सतही एवं उप-सतही पद्धतियों के माध्यम से भूभौतिकीय अध्यययन करना । (IX)भूजल अध्ययनों के लिए बेंचमार्क पद्धतियां स्थापित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों के साथ समन्वयय करना । (X) जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता एवं जानकारी को बढ़ावा देना । (XI) भूजल को बचाने और साझेदारी करने संबंधी पहलुओं पर विज्ञान संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ाना । (XII) कृषि, औद्योगिक एवं संबंधित उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोग सहित उपयोगों के लिये भूजल गुणवत्ता की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिये भूजल गुणवत्ता का आकलन । (XIII) आयोजकों एवं प्रशासकों के उपयोग के लिये रिपोर्टें, मानचित्र, भूजल एटलस और विवरणिकाएं तैयार करना । (XIV) नवीनतम उपकरण प्राप्त करके अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना जिससे उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । इस स्कीम के टीएसपी घटक हेतु 9.60 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

22.01. **बाढ़ पूर्वानुमान:** भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्वाह पूर्वानुमान नेटवर्क को शक्तिशाली करना और सुधारना तथा पूर्वानुमान सूचना प्रणाली का विकास ।

22.02. **सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्यकलाप:** अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित होने को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि नदी प्रबंधन कार्यकलापों को प्राथमिकता के आधार पर सुव्यवस्थित पद्धति में शुरू करना जिसमें जहां भी आवश्यकता हो पड़ोसी देशों के साथ सहयोग से भूविज्ञानीय अवलोकन, जांच और आवश्यक बाढ़ नियंत्रण, उपाय शामिल है।

23.02. **पगलादिया बांध परियोजना:** इस स्कीम का मुख्यु लक्ष्य है पगलादिया नदी से बार-बार होने वाले बाढ़ से असम के नलबारी जिले में 40,000 हेक्टेहयर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बांध और नहर प्रणाली का निर्माण करना आदि तथा प्रतिवर्ष (औसत) 54,160 हेक्टेायर के सकल कमान क्षेत्र को सिंचाई उपलब्धन कराना । परियोजना में आकस्मिक लाभ के रूप में नहर से निकलने वाले जल से 3 मेगावाट की जल विद्युत उत्पमन्ना की जानी है ।

24. **फरक्का बैराज परियोजना:** फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य लक्ष्य है "बैराज की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपायों सहित फरक्का बैराज और संबद्ध संरचनाओं का प्रचालन और रखरखाव ।"